



कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees' State Insurance Corporation

"पंचदीप भवन" जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

"Panchdeep Bhawan", Jawahar Lal Nehru Marg; Patna-800 001

पत्रांक/पी/42 - 5350-100/1005
सेवा में,

दिनांक/Date... 18-7-05

मेसर्स होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल
प्रभातपुर, मधुपुर
मुजफ्फरपुर - 842001

Mk Holy Mission Senior Secondary School
Prabhatpur, Madhupur
Muzaffarpur - 842001

विषय : क० रा० बी० अधिनियम का कार्यान्वयन तथा संशोधित क० रा० बी० अधिनियम 1948 की धारा 2 (12)/1 (5) के अधीन कर्मचारियों और कारखाना/स्थापना का पंजीयन।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि क० रा० बी० अधिनियम की धारा-1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं० दिनांक के द्वारा क्षेत्र में अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त सभी कारखानों/स्थापनाओं के लिए अधिनियम के उपबंध लागू किये हैं।

2. मुझे पुनः सूचित करना है कि सरकार ने अधिसूचना सं० ESIS-I/NI-52/2004/385 दिनांक 20-5-05 के द्वारा दिनांक 1-5-2005 से अन्य स्थापनाओं के लिए भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों का विस्तार किया है।

3. अधिनियम की धारा 2A के अधीन इस प्रकार के कारखाना/स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत स्थानों को पंजीकृत करा सेना अपेक्षित है, और चेंप्टर IV प्रदान नियोजक को अपने कर्मचारियों का बीमा कराने और अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त ऐसे कर्मचारियों से संबंधित अदा करने के लिए उत्तरदायी करार देता है।

4. आपके द्वारा प्रस्तुत आपके कारखाना/स्थापना से संबंधित व्योरा, बीमा निरीक्षक/स्थानीय कार्यालय प्रबंधक द्वारा दिनांक को आपकी स्थापना के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आपका कारखाना/स्थापना दिनांक 1-5-2005 से अस्थायी रूप से अधिनियम की धारा 2(12)/1 (5) की व्याप्ति में है। तथापि यदि अनुवर्ती तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपका कारखाना/स्थापना उपर उल्लिखित तिथि के पहले की तिथि से व्याप्तिय था तो आप अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन प्रारंभिक तिथि से ही करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि अधिनियम के अधीन अपने कारखाना/स्थापना की व्याप्ति की तिथि से घोषणा प्रपत्र भरकर अंशदान विवरणी तैयार कर अंशदान का भुगतान कर एवं अभिलेखों का अनुरक्षण कर अपने कर्मचारियों के पंजीयन हेतु तत्कार कदम उठावें।

सुविधा के लिए आपकी स्थापना की कूट संख्या 42-5350-100 आवंटित की गई है। कृपया इस कूट संख्या को इस कार्यालय को भेजे गये सभी संदर्भों एवं प्रयोजन के निमित्त संकेतित सभी स्थानों को भेजे जानेवाले सभी प्रपत्रों में प्रयोग करें। निगम के स्थानीय कार्यालय मुजफ्फरपुर को निर्देश दे दिये गये हैं कि योजना के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आपकी आवश्यक सहायता करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरुक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक से संपर्क करें। वह इस मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे।

आपकी स्थापना में कर्मचारियों को अपने राज्य बीमा औपचार्यलय, बीमा चिकित्सा व्यवसायी के चयन हेतु बीमा चिकित्सा व्यवसायी राज्य बीमा औपचार्यलय का प्रचारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रश्न आदि कृपया उपर उल्लिखित स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करें। आपके सभी कर्मचारी उल्लिखित स्था. कार्यालय से संबद्ध होंगे।

निगम के कर्मचारी/अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आपके कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन के लिए आपको सभी आवश्यक और संभव सहायता प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और मेरा विश्वास है कि आपकी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और विनियमों के उद्देश्यों का शीघ्र और समय पर अनुपालन किया जायेगा।

अनुलग्नक : कर्मचारियों की संख्या 33 (तीस)

भवदीय

(उप निदेशक)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :

1. बीमा निरीक्षक श्री को इस निर्देश के साथ भेषित कि तीन माह के अन्दर अन्तिम रूप से व्याप्ति हेतु आवश्यक प्रतिवेदन भेजें।
2. स्थानीय कार्यालय प्रबंधक
3. लेजर शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।
4. अंशदान शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।

(उप निदेशक)